BES1-MISC/25.1/4/2024-XXIV-A-1-Basic Education Department

1/214603/2024

संख्या- 214603 /XXIV-A-1/2024- 69192 /2024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 30 मई, 2024

विषयः उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–163 दिनांक 04–03–2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–प्रा०शि०–दो(2)/268–2017/2442/2024–25, दिनांक 18 मई, 2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–163 दिनांक 04–03–2016 के सम्बन्ध में है।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–671, दिनांक 01–08–2018 द्वारा एन0सी0टी0ई0 द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 के प्राविधानों के अधीन 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक(बी0एड0) अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

3– चूंकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या–5069/2023 देवेश शर्मा प्रति भारत संघ के प्रकरण में दिनॉक 11.08.2023 को पारित निर्णय में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एन0सी0टी0ई0 की अधिसूचना दिनॉकित 28.06.2018, जिसके माध्यम से कक्षा एक से पॉच तक के विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु भर्ती प्रकिया में बी0एड0 डिग्रीधारकों को अर्ह बनाया गया था, उक्त अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। उक्त के क्रम में एन0सी0टी0ई0 के सभी राज्यों को सम्बोधित पत्र दिनांक 04.09.2023 द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012" (यथासंशोधित) में संशोधन करते हुये अग्रेत्तर "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2024" प्रख्यापित की गयी है।

4– अतएव उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 11.08.2023 के क्रम में शासनादेश संख्या–163/XXIV(1)/2016–15/2011 दिनांक 04–03–2016 के बिन्दु संख्या 3(1) पात्रता परीक्षा न्यूनतम अर्हता A- अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V) (प्राथमिक शिक्षकों हेतु) के पैरा संख्या–(iii) को केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। साथ ही इससे सम्बन्धित शासनादेश संख्या–671/XXIV(1)/2018–15/2011 Vol.I दिनांक 01–08–2018 को विलोपित किया जाता है।

5– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–163, दिनांक 04–03–2016 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा वर्ष 2024 आयोजित कराये जाने हेतु दिनांक

29–09–2024 (माह सितम्बर का अन्तिम रविवार) की तिथि निर्धारित है। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार उक्त दिनांक 29–09–2024 को परीक्षा निर्धारित की गयी है। तदक्रम में विभागीय प्रस्तावानुसार उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा वर्ष 2024 हेतु निर्धारित परीक्षा तिथि 29–09–2024 के स्थान पर दिनांक 26–10–2024 (शनिवार) को परीक्षा तिथि निर्धारित किये जाने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 30-05-2024 16:51:00

(रविनाथ रामन)
सचिव।